

95

1878

(3)

नम्बर रसीद संख्या.....

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम श्रीमति ~~श्रीमति~~ काठपत्नी
2. लेख्य-पत्र की किस्म ~~जगानन्द शर्मा शर्मा~~
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई .. .. .
4. प्रतिफल की रकम .. .. . रुपये

क. फीस रजिस्ट्री :

- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री 2625
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस ..
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस ..

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस ~~कमी~~ 14000

ग. विविध फीस : 200

- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस .. .. .
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
- (6) संरक्षण फीस .. .. .
- (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस 16395-

फीस के प्राप्त होने की तारीख 16.4.08.

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये पाने की तारीख

  
 रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर  
 तारीख (रु.दी)



राजस्थान RAJASTHAN

दान पत्र डोनेशन

A 234076

आज दिनांक 16.4.08 को यह दान पत्र डोनेशन  
- श्रीमति मोडी बाई आयु 34 वर्ष पत्नी श्री गजानन्द  
जी कौम गुजर साकिन बरुंधम उप तहसील तालेडा तहसील व  
जिला बूंदी डोनेशन से आगे चलकर इस दानपत्र में प्रथम पक्षकार  
दानदाता के नाम से संबोधित किया गया है



तथा

- श्रीमति मोडीबाई

आर्क्षी बाल विद्या मीटर समिति बरुंधम तहसील व जिला बूंदी  
रजिस्ट्रेशन क्रमांक बूंदी/15/88-89 दिनांक 27.2.1989 जय  
अध्यक्ष/सचिव गजानन्द गुजर आत्मज श्री गेन्दीलाल जी जाति  
गुजर निवासी ग्राम धमातरी पोस्ट बरुंधम उप तहसील तालेडा  
तहसील व जिला बूंदी डोनेशन से आगे चलकर इस दानपत्र में  
द्वितीय पक्षकार दानग्राहता समिति के नाम से संबोधित किया  
गया है के मध्य आलेखित कर निष्पादित किया गया ।



गजानन्द गुजर  
अध्यक्ष/सचिव-आर्क्षी  
बाल विद्या मीटर  
समिति बरुंधम

यहकि मुझ प्रथम पक्षकार के कब्जे कामत व छाते की  
खोता सं० 463 की कृषि भूमि खसरा नं० 949/1 रकबा 3 बिस्वा ,ख० नं० 951/1 रकबा  
। बीघा 9 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा । बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बरुंधम पटवार  
हल्का बरुंधम तहसील व जिला बूंदी में स्थित है ।

मोडीबाई

तथा

गजानन्द

क्रमांक - 2



राजस्थान RAJASTHAN

॥ 2 ॥

A 234081

मुझ प्रथम पक्षकार की कब्जे काशत व छाते की छाता सं० 439 की कृषि भूमि छतरा नं० 950 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम बरुंधम पट्टार हल्का बरुंधम तहसील व जिला बूंदी में स्थित है ।

यहकि मैं मेरी उपरोक्त छाता सं० 463 की कृषि भूमि छतरा नं० 949/1 रकबा 3 बिस्वा, छातं० 951/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में से । बीघा 6 बिस्वा पूर्व की कुल कित्ता 2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा , तथा मेरे कब्जे काशत व छाते की छाता सं० 439 की कृषि भूमि छतरा नं० 950 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम बरुंधम पट्टार हल्का बरुंधम तहसील व जिला बूंदी को याने दोनों छातों की टोटा भूमि । बीघा 14 बिस्वा भूमि को द्वितीय पक्ष " आर्क्षी बाल विद्या मीदर समिति बरुंधम जयें अध्यक्ष/सचिव " को दान में देने का प्रस्ताव किया जिसे द्वितीय पक्षकार समिति ने स्वीकार कर लिया ।

यहकि मुझ प्रथम पक्षकार ने मेरी छाता सं० 463 की कृषि भूमि छतरा नं० 949/1 रकबा 3 बिस्वा, छातं० 951/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में से । बीघा 6 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा को, तथा मेरे कब्जे काशत व छाते की छाता सं० 439 की कृषि भूमि छतरा नं० 950 रकबा 5 बिस्वा को, कुल टोटा भूमि । बीघा 14 बिस्वा को द्वितीय पक्ष आर्क्षी बाल विद्या मीदर समिति बरुंधम जयें अध्यक्ष/सचिव को दान कर दिया है तथा द्वितीय पक्ष ने भी मेरे द्वारा उपरोक्त दान की गई संपत्ति को दानग्राहता के रूप में दान में लेना स्वीकार कर लिया है, याने मैं मेरी उपरोक्त भूमि उक्त समिति को दान करदी है तथा द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त भूमि दान के रूप में प्राप्त करली है । अब मुझ प्रथम पक्ष व मेरे वारिसान का मेरे द्वारा मेरी उपरोक्त संपत्ति जो मैंने द्वितीय पक्षकार को दान करदी है, में किसी प्रकार का कोई हक व

ओटीबाई

क्रमा. - 3

80 1-4-91  
695



राजस्थान RAJASTHAN

॥ 3 ॥

A 234082



अधिकार नहीं रहा है और न ही किसी प्रकार का कोई संबंध ही रहा है और ना ही कोई लेना देना शेष रहा है। आज से ही उपरोक्त दान की गई भूमि के एक मात्र मालिक व काबिज व छातेदार द्वितीय पक्षकार होंगे।

यही कि मुझ प्रथम पक्षकार ने मेरी उपरोक्त दान की गई संपत्ति के पेटे मुझ प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार के मध्य किसी प्रकार का लेन-देन विविध प्रतिकूल नहीं हुआ है।

अतः आज मुझ प्रथम पक्षकार ने अच्छी तरह सोच समझ कर तन्दुरुस्त व स्थिर मन मस्तिष्क की हालत में बिना किसी दबाव-धौंस के स्वयं की इच्छा से यह दान पत्र 3000/- रुपये के नोन जुडो स्टाम्प 1000/3 किता उ पर टाईप करवाकर पढ़सुनकर सही होना मानकर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा गवाही गवाहान करवादी है जो सही है सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक 16.4.08

हस्तागवाहान

हस्ताग प्रथम पक्षकार दानदाता

मीठीबाई



1- हेमराज मीणा

हेमराज मीणा आग कन्हैयालाल मीणा जाति मीणा निग बरुधम तहड व जिला बुंदी आयु 33 वर्ष

हस्ताग द्वितीय पक्षकार दानगृहिता

आर्षी बाल विद्या मीदरसमीत बरुधम जय अध्यापक/तयव - गणेश

2- जगजीवनराम






जगजीवनराम पांचाल आग श्री रामनारायणजी जाति लुहार निग बरुधम तहड व जिला बुंदी आयु 39 वर्ष


Handwritten signature and stamp: जिलोक चन्द सराय, पंचोदर, बुंदी (राज.)

Handwritten signature of the witness.

उप पजीयक

तालेडा जिला बुंदी (राज0)

कठ	तखनी	मसफका	बगबिकर	कन्ठिठ)	केला
					माडी चड

  
 उप पंजीयक  
 तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)